

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

## अधिसूचना

क्रमांक एफ.1-1/2015/1/5. — भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाशों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित दिन भी वर्ष 2016 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :-

## सार्वजनिक अवकाश (अनुसूची)

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1937	मंगलवार
2.	महाशिवरात्रि	एक	7 मार्च	फाल्गुन 17, 1937	सोमवार
3.	होली	एक	23 मार्च	चैत्र 3, 1938	बुधवार
4.	बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी	एक	1 अप्रैल	चैत्र 12, 1938	शुक्रवार
5.	महाधीर जयंती	एक	19 अप्रैल	चैत्र 30, 1938	मंगलवार
6.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	21 मई	वैशाख 31, 1938	शनिवार
7.	ईद-उत-फितर	एक	06 जुलाई	आषाढ 15, 1938	बुधवार
8.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1938	सोमवार
9.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	25 अगस्त	भाद्रपद 3, 1938	शुक्रवार
10.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	एक	12 सितम्बर	भाद्रपद 21, 1938	सोमवार
11.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	11 अक्टूबर	आश्विन 19, 1938	मंगलवार
12.	मोहर्रम	एक	12 अक्टूबर	आश्विन 20, 1938	बुधवार
13.	गुरूनानक जयंती	एक	14 नवम्बर	कार्तिक 23, 1938	सोमवार
14.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	एक	13 दिसम्बर	अग्रहायण 21, 1938	मंगलवार

टीप :-

(1) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किए गये हैं :-

1.	गांधी जयंती	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1938
2.	दीपावली	30 अक्टूबर	कार्तिक 8, 1938
3.	क्रिसमस डे	25 दिसम्बर	पौष 4, 1938

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. टंडन, अपर सचिव